	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 30, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 22, 2021 *Asvina 30, Friday , Saka 1943- October 22, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 21, 2021

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2021 :-यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि जयपुर सिटी ट्रांसपार्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीसएल) के कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनांक 21 एवं 22 अक्टूबर 2021 से हडताल का आव्हान किया गया है। यह कि राज्य सरकार का यह विचार है कि जयपुर सिटी ट्रांसपार्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीसएल) की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप धारा- (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) एवं (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर सिटी ट्रांसपार्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीसएल) की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

9815

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।